राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

रिव्यू याचिका संख्याः— 11 / 2022

अंतर्गत

अपील संख्या :—778 / 2019

बादशाह

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता(प्रशा.) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पीएचईडी मुख्यालय कैम्पस, जयपुर राजस्थान।
3. अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत्त अजमेर, जिला अजमेर, राजस्थान।
4. सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिटी सब—डिविजन—IX, अजमेर राजस्थान।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 02.05.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री सी.पी. शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी द्वारा अपील संख्या 778 / 2019 इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी, जिसे इस अधिकरण ने आदेश दिनांक 07.02.2022 के द्वारा निर्णित किया था और अपील खारिज की थी। उक्त अपील खारिज किये जाने के सम्बन्ध में अपीलार्थी ने यह रिव्यू याचिका प्रस्तुत की है। अपीलार्थी का कथन है कि मूल अपील में अपीलार्थी ने चयनित वेतनमान का लाभ परिवर्तन गलत रूप से प्राप्त किया गया है और अपीलार्थी से जो वसूली निकाली गयी है, वह गलत है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की अपील में जो आदेश दिनांक 07.02.2022 को पारित किया गया है, उसमें वसूली के सम्बन्ध में विवेचना नहीं की गयी है और राशि की वसूली के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।
2. हमारे मत में अपील के निस्तारण में गुणावगुण पर अधिकरण ने यह माना है कि अपीलार्थी को त्रुटिवश पूर्व में 1800 ग्रेड—पे के स्थान पर 1900 ग्रेड—पे दी गयी। इसलिए दिनांक 01.07.2013 को त्रुटिवश ग्रेड—पे 2400 दे दी गयी। त्रुटिवश दी गयी ग्रेड—पे में सुधार किये जाने में कोई त्रुटि नहीं पाई गई, जिसके आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की गयी थी। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी से वसूली

नहीं की जा सकती थी, जिसके सम्बन्ध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया। उन्होंने अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195 में प्रस्तुत किया, जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से वसूली किया जाना उचित नहीं माना है।

3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

4. रिव्यू करने के संबंध में जो प्रावधान धारा 6(5) राजस्थान सिविल सेवा (सेवा–मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 है, वो निम्न प्रकार से हैः–

> 6(5) "The Tribunal may, on its own motion or on the application of any party interested, review its own decision or order and pass in reference there to such order as it thinks just and proper. Provided that the Tribunal shall not review its own decision or order unless it is satisfied that there has been discovery of new and important fact or evidence which, after the exercise of due diligence was not within the knowledge of such party or could not be produced by such partly at the time when such decision or order was made, or that there has been some mistake or error apparent on the face of the record: Provided further that no application under this sub-section shall lie to the Tribunal after the expiry of thirty days from the date of the decision or order of which review is being sought: Provided also that an application may be entertained after the said period of thirty days if the applicant satisfies the Tribunal that he had sufficient cause for not filling the application within such time.

उपर्युक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि रिव्यू याचिका उस स्थिति में ही दायर की जा सकती है, जब कोई नया तथ्य अपीलार्थी की ध्यान में आया हो, जो पहले उसकी ध्यान में नहीं था या फिर रिव्यू तब किया जा सकता है, जब आदेश में कोई (face of record) त्रुटि रही हो। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी ने ऐसा कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है, जो उसके ध्यान में पूर्व में नहीं हो। आदेश में (face of record) पर कोई त्रुटि भी प्रकट नहीं होती है। अतः अपने आदेश को रिव्यू किये जाने का कोई आधार हमारे समक्ष नहीं है। पूर्व में पारित आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार प्रकट नहीं होता है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत रिव्यू याचिका बलहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है, जिसे एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)